भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1507

09 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

किफायती किराया आवास परिसर योजना (एआरएचसी) की स्थिति

1507 **श्री बी. पार्थसारधी रेड्डी:**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2020 में शुरू की गई किफायती किराया आवास परिसर योजना की विस्तृत स्थिति रिपोर्ट क्या है;

(ख) 2020 से राज्यवार स्वीकृत किए गए एआरएचसी की संख्या कितनी है;

(ग) 2020 से राज्यवार कितने एआरएचसी का निर्माण पूरा हो चुका है;

(घ) क्या इससे शहरों में प्रवासी श्रमिकों के लिए आवास की कमी को कम करने में सहायता मिली है;

(ङ) क्या इस योजना का विस्तार करने की आवश्यकता है; और

(च) यदि हां, तो विस्तार संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (च): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने शहरी प्रवासियों/गरीबों को उनके कार्यस्थल के पास गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए जुलाई 2020 में प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) की उप-योजना के रूप में किफायती किराया आवास परिसर (एआरएचसी) की शुरुआत की है। यह योजना दो मॉडलों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है:

I. मॉडल-1: जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) और राजीव आवास योजना (आरएवाई) के तहत निर्मित मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली आवासों का उपयोग सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) द्वारा या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा एआरएचसी में परिवर्तित करके,

II. मॉडल-2: सार्वजनिक/निजी इकाइयों द्वारा अपनी उपलब्ध खाली भूमि पर एआरएचसी का निर्माण, संचालन और रखरखाव।

दोनों मॉडलों के तहत स्वीकृत और पूर्ण किए गए एआरएचसी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक में है।

प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के अनुभवों से सीख लेते हुए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है, ताकि चार घटकों यानी लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से देश भर के शहरी क्षेत्रों में किफायती लागत पर एक करोड़ अतिरिक्त परिवारों को घर बनाने, खरीदने और किराए पर लेने हेतु केंद्रीय सहायता प्रदान की जा सके। अब तक, 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने योजना के दिशानिर्देशों अनुसार पीएमएवाई-यू 2.0 को कार्यान्वित करने के लिए सहमति ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए हैं। योजना के दिशानिर्देश https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/operational-guidelines-of-pmay-u-2.pdf पर उपलब्ध हैं। पीएमएवाई-यू 2.0 के एआरएच घटक का उद्देश्य ईडब्ल्यूएस/एलआईजी लाभार्थियों के लिए किराये के आवास बनाने को बढ़ावा देना है जो घर खरीदना नहीं चाहते हैं लेकिन अल्पकालिक आधार पर उन्हें आवास की आवश्यकता होती है। एआरएच को दो मॉडलों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है:

I. मॉडल-1: मौजूदा सरकार द्वारा वित्त पोषित खाली आवासों को पीपीपी मोड के माध्यम से या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा एआरएच में परिवर्तित करके,

II. मॉडल-2: शहरी गरीबों, कामकाजी महिलाओं, उद्योगों, औद्योगिक संपदाओं, संस्थाओं के कर्मचारियों और अन्य पात्र ईडब्ल्यूएस/एलआईजी परिवारों के लिए निजी/सार्वजनिक इकाइयों द्वारा किराये के आवासों का निर्माण, संचालन और रखरखाव करना।

मॉडल -2 के तहत, सार्वजनिक/निजी इकाइयों पात्र लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए एकल/डबल बेडरूम यूनिट या डार्मेटरी बेड वाली एआरएच परियोजनाओं का निर्माण, संचालन और रखरखाव कर सकती हैं। इस योजना में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के औद्योगिक विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/शहरी विकास प्राधिकरण/योजना प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आने वाले वे सभी वैधानिक शहर और क्षेत्र शामिल हैं, जिन्होंने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत भाग लिया है।

दिनांक 09.12.2024 **के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या** 1507 **के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

क. योजना के मॉडल-1 के तहत लाभार्थियों के लिए एआरएचसी में परिवर्तित किए गए सरकार द्वारा वित्तपोषित मौजूदा खाली आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शहर का नाम	खाली आवासों की संख्या में एआरएचसी में परिवर्तित किया गया
1.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	2,195
2	गुजरात	सूरत	393
3.		अहमदाबाद	1,376
4		राजकोट	698
5	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	480
6	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	336
7	उत्तराखंड	लालकुआँ	100
8		देहरादून	70
कुल योग			**5,648**

ख. योजना के मॉडल-2 के तहत स्वीकृत एआरएचसी इकाइयों और सार्वजनिक/निजी संस्थाओं द्वारा स्वीकृत और पूरे किए गए निर्माण का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण:

क्र. सं.	का नाम		इकाई का नाम	कुल इकाइयां	पूर्ण किया गया निर्माण
	राज्य	शहर			
1.	तमिलनाडु	श्रीपेरंबदूर	एसपीआर सिटी एस्टेट्स प्रा. लिमिटेड	18,112	6,160
2		श्रीपेरंबदूर	एसपीआर कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड	3,969	3,969
3.		होसुर	टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्रा. लिमिटेड	13,500	6,576
4		चेन्नई	तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम	18,720	18,720
5		चेन्नई	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि.	1,040	-
6		चेन्नई	एसपीआर कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड	5,045	-
7	छत्तीसगढ	रायपुर	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि.	2,222	-

8	असम	कामपुर टाउन	गुवाहाटी रिफाइनरी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.	2,222	-
9	उत्तर प्रदेश	प्रयागराज	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि.	1,112	-
10	गुजरात	सूरत	मित्सुमी हाउसिंग प्रा. लिमिटेड	453	-
11	तेलंगाना	निजामपेट	सिवानी इंफ्रा प्रा. लिमिटेड	14,490	-
12	आंध्र प्रदेश	काकीनाडा	तटीय डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड	736	-
12		विजयनगर	तटीय डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड	652	-
कुल योग				**82,273**	**35,425**